रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277] नई दिल्ली, बुधवार, मई 17, 2000/वैशाख 27, 1922
No. 277] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 17, 2000/VAISAKHA 27, 1922

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2000

सा.का.नि. 463(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 5 जनवरी, 2000 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 14(अ)] तारीख 5 जनवरी, 2000 द्वारा, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त प्रारूप प्रकाशित हुआ था, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 6 जनवरी, 2000 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति से परामर्श करने के पश्चात्, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (प्रथम संशोधन) नियम 2000 है।

(2) ये इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ: मास पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 32 में, (i) खंड (ख) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि जब किसी खाद्य पदार्थ में कोई संपूर्ण प्राणी या उसका भाग, जिसमें पक्षी और स्वच्छ जलीय अथवा समुद्री जीव या अंडे भी सम्मिलित हैं, घटक रूप में है, तब यह उपदर्शित करने के लिए कि उत्पाद मांसाहारी खाद्य है, इस प्रयोजन के लिए इस प्रकार नियत प्रतीक और रंजक कोड द्वारा इस प्रभाव की घोषणा की जाएगी। प्रतीक में, जैसा कि नीचे उपदर्शित है, एक वृत्त होगा जिसमें एक जीवा होगी जो ऊपरी बाएं सिरे से विकर्णत: केन्द्र से होती हुई दाएं तक जाएगी :—

प्रतीक, पैकेट पर प्रमुख लाल रंग में वैषम्य पृष्ठभूमि के साथ प्रदर्शित किया जाएगा और उसकी परिधि की चौड़ाई उत्पाद के नाम या ब्रान्ड नाम के लिए प्रयुक्त अक्षरों की चौड़ाई के बराबर होगी और उसका व्यास, उत्पाद के नाम या ब्रांड नाम के लिए प्रयुक्त अक्षरों की ऊंचाई के बराबर होगा। प्रतीक, उत्पाद के नाम या ब्रांड नाम के ठीक ऊपर प्रदर्शित किया जाएगा और यह लगभग उसके मध्य में होगा और यह किसी मांसाहारी खाद्य वस्तु के नाम या ब्रांड नाम का अविच्छन्न भाग होगा, जिसे ऐसी प्रत्येक जगह उपदर्शित किया जाएगा, जहां नाम और ब्रांड नाम प्रदर्शित किया जाता है जिसमें लेबल, आद्यान और साथ ही पुस्तिका पर्चा, किसी मीडिया आदि में विज्ञापन भी सम्मिलित है।

मांसाहारी के रूप में खाद्य की प्रकृति उपदर्शित करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक और रंजक कोड विनिर्माताओं या पैकरों या विक्रेताओं द्वारा इस प्रकार व्यापक रूप से प्रकाशित/प्रदर्शित किए जाएंगे, जिससे कि समस्त जनता, उनकी साक्षरता की स्थिति को ध्यान में रखे बिना, उसे समझ सके।"

(ii) स्पष्टीकरण 8 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण-9—"मांसाहारी खाद्य" से ऐसी खाद्य वस्तु अभिप्रेत है जिसमें कोई संपूर्ण प्राणी या उसका भाग, जिसमें पक्षी, स्वच्छ जलीय या समुद्री जीव या अंडे भी सम्मिलित हैं, घटक रूप में है।"

[सं. पी.-15014/12/99-पी.एच. (खाद्य)]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

नोट : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 पहले दिनांक 12-9-1955 का०नि०आ० 2105 के तहत भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3 में प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार सा०का०नि० 694(अ) दिनांक 11-10-1999 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2000

G.S.R. 463(E).— Whereas the draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published as required by sub-section (1) of section 23 of Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 5th January, 2000, under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) GSR No. 14(E) dated the 5th January, 2000, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said draft rules were published were made available to the public;

And Whereas the copies of the said Gazette of India were made available to the Public on the 6th January, 2000;

And Whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely:-

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (First Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force after six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in rule 32,

(i) in clause (b), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that whenever any article of food contains whole or part of any animal including birds and fresh water or marine animals or eggs as an ingredient, a declaration to this effect shall be made by a symbol and colour code so stipulated for this purpose to indicate that the product is Non-Vegetarian Food. The symbol shall consist of a circle with a single chord passing through its centre from top left hand side to the right diagonally as indicated below:-

The symbol shall be displayed in prominent red colour on the package having contrast background and shall have width of circumference equal to the width of the letters used in the name or brand name of the product and diameter equal to the height of the letters used for the name or brand name of the product. The symbol shall be displayed just above the name or brand name of the product and approximately to its centre and shall form an integral part of the name or brand name of any article of Non-Vegetarian Food, to be indicated wherever the name or brand name shall be displayed, including labels, containers as well as in pamphlets, leaflets, advertisements in any media, etc.

The symbol and colour code used to indicate nature of the food as Non-Vegetarian, shall be published/displayed extensively by the manufacturers, or packers or sellers, so as to reach the entire population irrespective of their literacy status."

(ii) after Explanation VIII, the following Explanation shall be inserted, namely :-

"Explanation–IX - 'Non-Vegetarian Food' means an article of food which contains whole or part of any animal including birds, fresh water or marine animals or eggs as an ingredient."

[No. P-15014/12/99-PH (Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

Note :—The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of Gazette of India vide S.R.O. 2105 dated 12-9-1955 and were last amended vide G.S.R. No. 694(E) dated 11-10-1999.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.